संख्या-6017/62-2-98-2/2(34)/98

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रा० अभि० सेवा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 4 सितम्बर, 1998

विषय :- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश में कृषकों को निजी गहरे नलकूपों का निर्माण कराने पर विशेष सहायता योजना नामक नयी योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे होने के कारण कृषकों को निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत सिंचाई सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। उक्त समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1998-99 से निजी क्षेत्र में गहरे नलकूपों के निर्माण कराने पर विशेष सहायता योजना प्रारम्भ की जाय। उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या- जी-401/ल० सिं०/कार्य-/96, दिनांक 7 जुलाई, 1998 के सन्दर्भ में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

1. <u>योजना का उद्देश्य</u>

प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहाँ पर गिरते हुये जल स्तर के कारण निःशुल्क बोरिंग योजना के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, में भारी रिग मशीनों द्वारा गहरे नलकूपों के निर्माण से भूगर्भगत जल का दोहन करके निजी क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना योजना का उद्देश्य है।

2. <u>लक्ष्य वर्ग</u>

योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषक पात्र होंगे। यदि कृषक संयुक्त रूप से नलकूप स्थापित कराना चाहते हैं तो योजना के अन्तर्गत एक से अधिक सदस्यों के ऐसे लाभार्थी समूहों को लाभान्वित कराया जायेगा जिनके खेत प्रस्तावित नलकूप से सिंचित हो सकें तथा समूह के सदस्यों की नलकूप से सिंचित होने वाली कुल भूमि 12 हे० से कम न हो।

3. क्रियान्वयन का क्षेत्र तथा नलकूप निर्माण हेतु मानक

योजना के अन्तर्गत डार्क विकास खण्डों में नलकूप निर्माण का कार्य नहीं कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में कराया जायेगा जहां पर 500 मीटर के व्यास में छिछले बोरिंग/नलकूपों का निर्माण न कराया गया हो अथवा भूगर्भ जल स्तर नीचे होने के कारण उथली बोरिंग सम्भव न हो। नलकूपों का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में कराया जायेगा जहां पर 60 मीटर से अधिक गहरे नलकूप के निर्माण की आवश्यकता हो तथा जिन पर विद्युत कनेक्शन के व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल लागत सामान्यत: रू0 2 लाख तक आ रही हो।

नलकूपों का निर्माण तभी कराया जाय जब प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 12 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाना सम्भव हो। इसमें कृषक की भूमि के अतिरिक्त आस-पास के कृषकों की भूमि सिंचाई हेतु भी सम्मिलित की जा सकती है, जो लाभार्थी से किराये पर सिंचाई सुविधा लेंगे।

4. परियोजना लागत

इस योजना हेतु एक नलकूप की में ड्रिलिंग, पाइप एवं अन्य सामग्री पर व्यय, पम्प हाउस एवं सम्पवेल का निर्माण, विद्युत/डीजल पम्पसेट, गूल निर्माण तथा विद्युत कनेक्शन पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा जिसमें नलकूप का निर्माण, पम्पसेट की स्थापना तथा पम्प हाउस का निर्माण आवश्यक होगा। योजना के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई प्रणाली तथा स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. अनुमन्य अनुदान

सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी के कृषकों को नलकूप निर्माण हेतु लागत का 50% अथवा रू0 एक लाख जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य होगा।

6. अनुदान की स्वीकृति एवं नलकूप निर्माण हेतु प्रक्रिया

6.1 जो कृषक उक्त योजना में नलकूप निर्माण हेतु इच्छुक होंगे वे अपना प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित जमानत धनराशि सहित निर्धारित रूप पत्र पर ग्राम्य विकास अधिकारी अथवा अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा पूर्ण कराकर, खण्ड विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता (ल० सिं०) के कार्यालय में पंजीकृत करायेंगे। खण्ड विकास अधिकारी कृषक का प्रार्थना पत्र जमानत धनराशि सहित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को 7 दिन के अन्दर प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता (ल० सिं०) विभाग को प्रेषित करेंगे।

3/----

6·2 अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, भूमि जल विभाग/रिमोट सेन्सिंग विभाग अथवा मुख्य अभियन्ता द्वारा नामित अधिकारी/एजेन्सी से नलकूप हेतु बोरिंग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 15 दिन में रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। प्रार्थना पत्र उपयुक्त पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई नलकूप निर्माण हेतु प्राक्कलन बनायेंगे और धन की आवश्यकता को अंकित करते हुए ऋण द्वारा नलकूप निर्माण हेतु सम्बन्धित बैंक की शाखा को स्वीकृति हेतु 7 दिन के अन्दर भेजेंगे तथा निजी श्रोतो द्वारा कार्य कराये जाने की दशा में सम्बन्धित कृषक एवं खण्ड विकास अधिकारी को उसकी सूचना 7 दिन के अन्दर देंगे। साइट के अनुपयुक्त पाये जाने की दशा में कृषक का प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता (ल0 सिं0) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा एवं कृषक को भी सूचना दे दी जायेगी ।

6·3 सहायक अभियन्ता (ल0 सिं0) के कार्यालय में इस योजना के अन्तर्गत प्रा प्राप्त प्रार्थना पत्रों व इनके एकाउन्ट का कृषकवार विवरण मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर रजिस्टर में अंकित करके रखा जायगा जो निरीक्षण के समय अधिकारियों को उपलब्ध रहेगा। सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) कृषक के पंजीकरण के अनुसार एक वरीयता सूची बनायेंगे जिसके अनुसार ही नलकूप निर्माण कार्य कराया जायेगा।

6·4 निजी श्रोतो एवं ऋण द्वारा नलकूप निर्माण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(क) <u>निजी श्रोतो से नलकूप निर्माण की प्रक्रिया</u>

(1) कृषक का बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमानित व्यय का प्राक्कलन कृषक को 7 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। प्राक्कलन के अनुसार कृषक को बोरवेल की लागत (ड्रिलिंग तथा पाइप एवं अन्य सामग्री) पर होने वाले व्यय का 50% धन विभाग में जमा करना होगा।। कृषक द्वारा उक्त धन जमा कराये जाने के उपरान्त वरीयता क्रम के अनुसार रिग मशीन कृषक के क्षेत्र में भेजी जायेगी। विभाग द्वारा कृषक की उक्त जमा धनराशि के बराबर राशि अनुमन्य अनुदान से स्वीकृत एवं आहरित करके सामग्री आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा उपलब्ध धनराशि के अन्दर ड्रिलिंग एवं एसेम्बली लोवर करने का कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(2) बोरवेल निर्मित होने के उपरान्त विभाग द्वारा, स्थापित किये जाने वाले पम्पसेट की हार्स पावर इत्यादि के सम्बन्ध में कृषक को परामर्श दिया जायेगा जिसके अनुसार कृषक बाजार में उपलब्ध आई०एस०आई० मार्क पम्पसेट का कोटेशन बिल विक्रेता से प्राप्त कर सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) को उपलब्ध करायेगा। विभाग द्वारा उपलब्ध अवशेष अनुदान की धनराशि में से पम्पसेट क्रय हेतु पम्पसेट के मूल्य की अधिकतम 50% धनराशि पम्पसेट के विक्रेता को चेक द्वारा 15 दिन के अन्दर भुगतान की जायेगी। यह कार्य कृषक के नाम चेक बनाकर पम्प सेट विक्रेता के नाम पृष्ठांकित करके किया जायेगा तथा शेष धनराशि की व्य व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां बोरवेल के निर्माण के उपरान्त अनुमन्य अनुदान में से धनराशि अवशेष नहीं बचती है, वहां पम्पसेट का क्रय कृषक द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

(3) बोरवेल का निर्माण पूर्ण होने अथवा पम्पसेट क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होने जैसी भी स्थिति हो, के उपरान्त, कृषक द्वारा 15 दिन के अन्दर पम्पसेट क्रय कर स्थापित किया जायेगा। पम्पसेट स्थापित होने की सूचना कृषक द्वारा सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर अनुमन्य अनुदान में से यदि कोई धनराशि अवशेष है तो उससे सर्वप्रथम विद्युत कनेक्शन हेतु होने वाले व्यय की अधिकतम 50% की धनराशि राज्य विद्युत परिषद को सीधे चेक द्वारा अथवा कृषक के नाम चेक काटकर राज्य विद्युत परिषद को पृष्ठांकित कर उपलब्ध करायेंगे और उसके उपरान्त अवशेष धनराशि पम्प हाउस एवं अन्य कार्यों के निर्माण हेतु चेक द्वारा कृषक को उपलब्ध करायेंगे, जिससे कृषक एक माह के अन्दर पम्प हाउस इत्यादि का निर्माण करायेगा। यदि अनुमन्य अनुदान में से धनराशि अवशेष नहीं है तो विद्युत कनेक्शन एवं पम्प हाउस निर्माण पर होने वाला व्यय कृषक द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा।

(4) कृषक द्वारा पम्प हाउस इत्यादि का निर्माण करा लेने के उपरान्त सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) को सूचित किया जायेगा तथा सहायक अभियन्ता (ल०सिं०) द्वारा 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त अनुदान के समायोजन के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी तथा अनुदान का समायोजन करते हुए यदि कृषक की जमा धनराशि में से कोई धनराशि शेष बचती है तो यह कृषक को चेक द्वारा वापस करके कृषक का लेखा बन्द कर दिया जायेगा।

(5) बोरिंग असफल होने की स्थिति में कृषक द्वारा जमा किये गये धन में से विभाग द्वारा किये गये कुल व्यय का 10% अथवा रू0/100/- जो भी कम हो, काटकर शेष राशि कृषक को चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी ।

(ख) ऋण द्वारा नलकूप निर्माण की प्रक्रिया

(1) लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन के आधार पर संबन्धित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा। ऋण केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकृत किया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को काटकर शेष बचता है। कृषक आंशिक व्यय अपने स्रोतो से भी वहन कर सकता है, परन्तु उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होगी।

(2) बैंक द्वारा एक माह के अन्दर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा उसकी स्वीकृति की सूचना संबन्धित कृषक एवं विभाग को दी जायेगी। विभाग के अनुरोध पर बोरवेल की लागत (ड्रिलिंग तथा पाइप इत्यादि पर व्यय) की 50% धनराशि का चेक,बैंक द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान की धनराशि से बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के बराबर धनराशि स्वीकृत एवं आहरित कर सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी एवं बोरवेल का निर्माण बैंक द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने के उपरान्त एक माह के अन्दर किया जायेगा। बोरवेल का निर्माण होने की सूचना सहायक अभि0 (ल0सिं0) द्वारा सम्बन्धित बैंक को दी जायेगी और यदि अनुमन्य अनुदान में से कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक में कृषक के खाते में जमा करा दी जायेगी। बोरवेल के निर्माण के उपरान्त पम्पसेट की हार्स पावर इत्यादि के विषय में कृषक को विभाग द्वारा परामर्श दिया जायेगा। कृषक बाजार में उपलब्ध अपनी मन पसन्द के आई.एस.आई. मार्क पम्पसेट का कोटेशन बिल विक्रेता से प्राप्त कर सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध करायेगा। बैंक द्वारा उपलब्ध अवशेष अनुदान एवं ऋण की धनराशि में से पम्पसेट क्रय हेतु आवश्यक धनराशि पम्प सेट विक्रेता को 15 दिन के अन्दर भुगतान की जायेगी। यह कार्य कृषक के नाम चेक बनाकर पम्पसेट विक्रेता के नाम पृष्ठांकित करके किया जायेगा।

(3) पम्पसेट क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कृषक द्वारा 15 दिन के अन्दर पम्पसेट क्रय कर स्थापित किया जायेगा। पम्पसेट स्थापित होने की सूचना कृषक द्वारा सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) को दी जायेगी सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर विद्युत कनेक्शन एवं पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के लिये

6/----

सम्बन्धित बैंक को अपनी संस्तुति देंगे। बैंक द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक धनराशि राज्य विद्युत परिषद को सीधे चेक काटकर अथवा कृषक के नाम चेक काटकर एवं राज्य विद्युत परिषद के नाम पृष्ठांकित कर भुगतान की जायेगी तथा पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जायेगी।

(4) कृषक द्वारा पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से पम्प हाउस एवं अन्य जो भी कार्य प्रस्तावित है, का निर्माण एक माह के अन्दर करा लिया जायेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित बैंक तथा सहायक अभियन्ता (ल० सिं०) को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता (ल० सिं०) द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर अनुदान के समायोजन के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी जिसके आधार पर बैंक द्वारा अनुदान समायोजित किया जायेगा और इसकी सूचना विभाग को दी जायेगी।

(5) बोरिंग असफल होने की स्थिति में बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि में, विभाग द्वारा किये गये कुल व्यय का 10% अथवा 1000/- रूपये (रू० एक हजार) जो भी कम हो काटकर शेष राशि बैंक को वापस कर दी जायेगी और बैंक द्वारा ऋण को समायोजित करते हुये कृषक का लेखा बन्द कर दिया जायेगा।

6.5 विभाग द्वारा की गई ~~कार्य~~ बोरिंग असफल होने पर रिग मशीन के सहायक अभियन्ता, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को रिपोर्ट भेजेंगे और अधिशासी अभियन्ता मौके पर नलकूप का निरीक्षण करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता (ल०सिं०) विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय लेकर बोरिंग असफल घोषित करेंगे।

6.6 कृषकों के नलकूप निर्माण हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग की रिग मशीनों के अतिरिक्त आवश्यक होने पर नलकूप निगम तथा सिंचाई विभाग के नलकूप निर्माण खण्ड की बड़ी रिग मशीनों का उपयोग किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में कृषकों को अनुदान की वही सुविधा अनुमन्य होगी जो लघु सिंचाई विभाग की रिग मशीनों के माध्यम से बोरिंग ~~कराने~~ कराने पर दी जाती है। भूगर्भ जल विभाग, नलकूप निगम या सिंचाई ~~विभाग~~ की रिग मशीनों द्वारा बोरिंग कराये जाने पर कृषकों से कोई सेन्टेज चार्ज नहीं लिया जायेगा और बोरिंग फेल हो जाने पर काश्तकारों को वही अनुदान देय होगा जैसा कि लघु सिंचाई विभाग की रिग मशीनों द्वारा निर्मित बोरिंग फेल हो जाने पर देय होता है।

6.7 राजकीय विभागों/निगमों की रिग मशीनों की अनुपलब्धता की दशा में योजना के अन्तर्गत प्राइवेट रिग मशीनों से बोरिंग कराया जाना भी अनुमन्य होगा। प्राइवेट रिग मशीनों से निर्मित बोरिंग पर भी उपरोक्त बिन्दु-5 के अनुसार अनुदान अनुमन्य होगा किन्तु ऐसी मशीनों से कराई गयी बोरिंग पर अनुदान की अनुमन्यता हेतु शासनादेश संख्या: 5240/54-2-847/90 दिनांक 27 जुलाई, 1990, संख्या 5727/54-2-847/90 दिनांक 27 अगस्त, 1990 तथा शासनादेश संख्या: 816/एम·आई·/33-4-847/90 दिनांक 15 अक्टूबर, 1993 में उल्लिखित प्रतिबन्ध लागू होंगे।

6.8 नलकूप का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कृषक को 100 रू० के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वह प्राप्त अनुदान एवं ऋण का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्मित बोरवेल में पम्पसेट की स्थापना तथा पम्प हाउस का निर्माण निर्धारित अवधि में अवश्य करा लेगा। यदि उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित है तो उन्हें भी वह निर्धारित अवधि में करा लेगा। उक्त अनुबन्ध पत्र का प्रारूप मुख्य अभियन्ता (ल०सि०) द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

6.9 योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे प्रत्येक कार्य की दैनिक विवरणी संबन्धित अवर अभियन्ता द्वारा रखी जायेगी तथा विभिन्न कार्यों की जो समय सारणी निर्धारित की गई है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. <u>कार्यदायी संस्था</u>

योजना के क्रियान्वयन हेतु लघु सिंचाई विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा तथा उत्तर प्रदेश नलकूप निगम, भूगर्भ जल विभाग एवं सिंचाई विभाग के नलकूप खण्ड ड्रिलिंग कार्य हेतु कार्यदाई संस्थाये होंगी।

8. <u>वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण</u>

प्रत्येक वर्ष योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण पृथक से मुख्य अभियन्ता (ल०सि०) के प्रस्ताव पर शासन द्वारा किया जायेगा जिसमें कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित किये जाने वाले लक्ष्यों का भी उल्लेख रहेगा। वर्ष 1998-99 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत इस योजना में 5 करोड़ का प्राविधान है जिसके अनुरूप जनपदवार लक्ष्यों एवं धन का आवंटन पृथक से किया जायेगा।

9/---

9. ड्राइंग, मानक एवं दर का निर्धारण

योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों तथा अन्य कार्यों की डिजाइन एवं ड्राइंग का निर्धारण एवं स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता (ल० सिं०) द्वारा प्रदान की जायेगी। तथा विभिन्न कार्यों हेतु दरों के निर्धारण के लिए अधीक्षण अभियन्ता (ल० सिं०) उत्तरदायी होंगे। योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य अधीक्षण अभियन्ता (ल० सिं०) द्वारा निर्धारित विशिष्टियों, मानकों एवं दरों के अनुसार ही किये जायेंगे।

10. उपभोगकर्ता संगठन एवं सुविधादाता

सामूहिक क्रिया कलाप उन लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जायेंगे जो स्वयं का उपभोग कर्ता समूह बनायेंगे। योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी परिसम्पत्तियों जिनों पर उपभोगकर्ता समूह का स्वामित्व होगा। समूह द्वारा अपने एक सदस्य को अंशकालिक आधार पर सुविधादाता के रूप में चयनित किया जायेगा। यथा आवश्यक सुविधादाता को सांकेतिक मानदेय दिया जायेगा। सुविधादाता नलकूप के दिन प्रतिदिन के संचालन का प्रभारी होगा तथा कार्यदायी संस्था एवं उपभोग कर्ता संगठन के मध्य कड़ी का कार्य करेगा। सुविधादाता को पम्पसेट के संचालन, मरम्मत, रख-रखाव इंजि कार्यों एवं जल व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यदायी संस्था द्वारा दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा रख-रखाव एवं संचालन का दायित्व उपभोग कर्ता संगठन का होगा।

11. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा योजना की साप्ताहिक समीक्षा की जायेगी तथा जनपद में योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण तथा उसके सम्यक क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा योजना की पाक्षिक रिपोर्ट संकलित की जायेगी तथा उसे मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा। पाक्षिक रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु प्रपत्र का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ल० सिं०) विभाग करेंगे। प्रदेश स्तर पर योजना के अनुश्रवण का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता (ल० सिं०) विभाग का होगा। अधिशासी अभियन्ता (ल० सिं०) द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्मित कम से कम 50% कार्यों का सत्यापन किया जायेगा। तथा अधीक्षण अभियन्ता (ल० सिं०) द्वारा कम से कम 20% कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा।

12. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू०ओ० ई-2-1396/ दस-98, दिनांक 4-9-98 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या:6017(1)/62-2-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, नलकूप निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियंता, नलकूप, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अधीक्षण अभियंता/निबंध विशेषज्ञ, निदेशक (प्रशा०) लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/ परियोजना, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
10. कृषि उत्पादन आयुक्त/कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
11. प्रमुख-सचिव, संस्थागत वित्त उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(आर० के० दुबे)
विशेष सचिव।